

कार्यालय बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

प्रेस नोट

बरेली विकास प्राधिकरण की जनहित में बड़ी पहल

माह सितम्बर से प्रत्येक बृहस्पतिवार होगा "मानचित्र समाधान दिवस" एक ही मंच पर समस्याओं का समाधान, मानचित्रों के निस्तारण में आएगी तेजी।

जनभागीदारी, पारदर्शिता और समयबद्ध सेवा के साथ "जनहित सर्वोपरि" के संकल्प को साकार करेगा बीडीए।

मा० मुख्यमंत्री जी के जनहित, जनभागीदारी, पारदर्शिता एवं सुशासन के संकल्प को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा एक महत्वपूर्ण एवं अभिनव पहल की जा रही है। आमजन की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्राधिकरण सभागार में माह सितम्बर से प्रत्येक बृहस्पतिवार प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 1:00 बजे तक "मानचित्र समाधान दिवस" आयोजित किया जाएगा।

इस विशेष पहल का उद्देश्य भवन मानचित्रों की स्वीकृति से संबंधित समस्याओं का एक ही मंच पर, एक ही समय में और नियमानुसार त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से आवेदकों एवं आर्किटेक्ट्स को संबंधित अधिकारियों के साथ सीधे संवाद का अवसर मिलेगा, जिससे तकनीकी आपत्तियों एवं लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी आएगी तथा मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया और अधिक सरल, सुगम, पारदर्शी एवं समयबद्ध बन सकेगी।

"दफ्तरों के चक्कर नहीं, समाधान के लिए एक मंच"

बरेली विकास प्राधिकरण का प्रयास है कि भवन मानचित्रों से संबंधित कार्यों के लिए आमजन को अनावश्यक रूप से विभिन्न पटल एवं कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। "मानचित्र समाधान दिवस" के माध्यम से संबंधित अधिकारियों एवं तकनीकी कार्मिकों की उपस्थिति में आवेदकों की समस्याओं को मौके पर समझते हुए नियमानुसार समाधान की दिशा में तत्काल कार्यवाही की जाएगी।

मानचित्र समाधान दिवस की प्रमुख विशेषताएं

◆ लो-रिस्क भवन मानचित्रों का त्वरित निस्तारण

प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत ले-आउट में स्थित भूखण्डों के भवन मानचित्र एवं समस्त आवश्यक अभिलेख उपलब्ध होने पर नियमानुसार उसी दिन निस्तारण/अनुमोदन की कार्यवाही की जाएगी।

◆ हाई-रिस्क भवन मानचित्रों में भू-उपयोग संबंधी कार्यवाही में तेजी

भवन मानचित्र से संबंधित आवश्यक अभिलेख उपलब्ध होने पर भू-उपयोग से संबंधित प्रकरणों में नियमानुसार त्वरित भू-उपयोग आख्या उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाएगी।

◆ तकनीकी समस्याओं का मौके पर समाधान

भवन मानचित्रों की स्वीकृति में आ रही तकनीकी समस्याओं एवं आपत्तियों के संबंध में आर्किटेक्ट/आवेदक को संबंधित अधिकारियों से प्रत्यक्ष संवाद का अवसर मिलेगा, जिससे समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

◆ शमन मानचित्रों से संबंधित समस्याओं का समाधान

शमन मानचित्रों के संबंध में आ रही समस्याओं एवं आपत्तियों पर भी संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रकरण की समीक्षा करते हुए नियमानुसार त्वरित एवं समयबद्ध समाधान उपलब्ध कराया जाएगा।

पारदर्शिता के साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी

“मानचित्र समाधान दिवस” के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को और अधिक मजबूत किया जाएगा। आवेदक एवं आर्किटेक्ट अपने प्रकरण से संबंधित समस्या को सीधे संबंधित अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे तथा नियमानुसार आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे।

इस पहल से न केवल लंबित मानचित्रों के निस्तारण में गति आएगी, बल्कि भवन मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया में विश्वास, पारदर्शिता और कार्यप्रणाली की स्पष्टता भी बढ़ेगी।

जनभागीदारी से जनसेवा तक बीडीए की नई कार्यशैली

बरेली विकास प्राधिकरण का मानना है कि बेहतर शहरी विकास के लिए जनता की सहभागिता और प्रशासन की जवाबदेही दोनों आवश्यक हैं। इसी भावना के साथ “मानचित्र समाधान दिवस” को जनभागीदारी आधारित व्यवस्था के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां आवेदक, आर्किटेक्ट एवं प्राधिकरण के अधिकारी एक ही मंच पर संवाद कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नियमानुसार एवं पूर्ण अभिलेखों के साथ प्रस्तुत पात्र प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में आवेदकों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा।

“जनहित सर्वोपरि” सुशासन की दिशा में एक और कदम

मा० मुख्यमंत्री जी के जनहित, जनभागीदारी, पारदर्शिता एवं सुशासन के संकल्प को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में बरेली विकास प्राधिकरण की यह पहल जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता, पारदर्शी कार्यप्रणाली, त्वरित निस्तारण और बेहतर नागरिक सेवाओं के संकल्प को मजबूत करती है। प्राधिकरण का उद्देश्य है कि आमजन को सरल एवं सुगम सेवाएं उपलब्ध हों, उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो और शहर के नियोजित एवं व्यवस्थित विकास को और गति मिले।

“मानचित्र समाधान दिवस” के माध्यम से बरेली विकास प्राधिकरण का संदेश स्पष्ट है जनता की सुविधा सर्वोपरि है, जनहित सर्वोपरि है और नियमानुसार त्वरित समाधान ही प्राथमिकता है।